<u>उत्तर पश्चिम रेलवे</u>

प्रधान कार्यालय
जयपुर।

सं. एनडब्ल्यूआर–एचक्यू0ओपीटीजी(संवनि)/6/2021 दिनांक 22.01.2025

वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक – अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर

विषयः– कार्यचालन के लिए स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी

परिचालन संरक्षा परिपत्र संख्या 01

5.01. कार्यचालन के लिए स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी.–

(1) स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर या स्टेशन की सीमा के अन्दर उसके आदेशों के अधीन स्थायी या अस्थायी रूप में नियोजित कर्मचारियों के सुपुर्द कार्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए, जिम्मेदार होगा और ऐसे कर्मचारी स्टेशन के कार्यचालन के लिए स्टेशन मास्टर के प्राधिकार और निर्देशों के अधीन होंगे।

(2) स्टेशन मास्टर यह देखेगा कि सब सिगनल, कांटे, समपार (लेवल क्रासिंग) के फाटक और उसके स्टेशन की पूरी व्यवस्था ठीक चालू हालत में है और उसमें जो भी खराबियॉ हैं उनकी रिपोर्ट, वह उपयुक्त प्राधिकारी को तुरन्त देगा।

(3) स्टेशन मास्टर यह देखने के लिए भी जिम्मेदार है कि स्टेशन का कार्यचालन उस समय प्रवृत नियमों और विनियमों के पूर्णतः अनुसार किया जा रहा है।

(4) स्टेशन मास्टर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति लाइन क्लियर न तो मॉगेगा और न देगा, और न ही प्रस्थान प्राधिकार देगा।

स.नि.5.01(1) स्टेशन मास्टर इंचार्ज प्रतिदिन अपने स्टेशन का निरीक्षण करेगा और अन्य बातों के साथ–साथ, यह भी जांच करेगा कि वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारियों की वर्दी साफ है और सिगनल बत्तियाँ, झंडियां तथा स्टेशन के अन्य उपकरण सही हालत में हैं। इसके अतिरिक्त, जब कभी कोई कर्मचारी स्टेशन पर बदली पर आता है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी यह स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह देखे कि ऐसे कर्मचारी स्टेशन के संचालन से संबंधित सारे नियमों को समझते हैं। प्रत्येक साक्षर (पढ़ा लिखा) कर्मचारी स्टेशन मास्टर को इस आशय की लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने ऐसे नियमों को पढ़ और समझ लिया है।

स.नि.5.01(2) कोई भी स्टेशन कर्मचारी, विशेष रूप से जब, कांटे और सिगनल या शंटिंग उसके चार्ज में हों, तब अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा कार्यमुक्त नहीं कर दिया जाता तथा स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना नहीं दे दी जाती और उसकी अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती। यदि किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर दिया जाता है तो कांटे वाले और सिगनल मैन तब तक ड्यूटी पर रहेंगे जब तक कि उस गाड़ी को नहीं ले लिया जाता और आगमन अनुमति देने की शर्ते बहाल कर दी गई हैं।

नोट : उ.प.रे. की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सामान्य एवं सहायक नियम 5.01 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक (सं. व नि.)

Digitally Signed by Gopal Krishna Sharma
Date: 22-01-2025 10:24:40
Reason: Approved